अनुदान संख्या 72 – विद्युत मंत्राालय
GRANT No. 72–MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5188,42,00		5188,45,00	4632,03,52	–556,41,48
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					552,63,99
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1797,74,00	1060,04,04	–737,69,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					737,14,10

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2801" बिजली	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	517767.00	462310.41	462051.39	–259.02
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	–55459.59			

(I) 485.00 लाख रु. का प्रावधान ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs. 485.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under "General - Other Expenditure" under the following heads: -

(का) ''पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना'' -185.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा के राज्यों और सिक्किम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग स्थापित न किए जाने के कारण थे।

(A) "Setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for North Eastern States and Sikkim" - Rs.185.00 lakhs - due to non-setting up of Joint Electricity Regulatory Commission for North Eastern States and Sikkim.

(खा) ''दिल्ली के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त एसईआरसी की स्थापना'' - 300.00 लाख रु. दिल्ली के अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त एसईआरसी की स्थापना न किए जाने के कारण थे।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''ताप विद्युत उत्पादन'' -

(क) ''बदरपुर ताप विद्युत केंद्र'' -

(i) ''सामान्य'' -972.48 लाख रु. की बचत (1169.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) ''प्रचालन और अनुरक्षण'' -44759.85 लाख रु. की बचत (140109.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''आरक्षित निधि को अंतरण - मूल्यह्रास - बदरपुर ताप विद्युत केंद्र'' -528.00 लाख रु. की बचत (634.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें बदरपुर संयंत्रा की बिक्री राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को किए जाने की वजह से बदरपुर कक्ष बंद किए जाने के कारण हुईं।

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान'' -145.00 लाख रु. की बचत (मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1309.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' -557.21 लाख रु. की बचत (4542.71 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Setting up of Joint SERC for Union Territories except Delhi" - Rs.300.00 lakhs - due to non-setting up of Joint SERC for Union Territories except Delhi.

(II) Savings occurred under the following heads:-

(A) "Thermal Power Generation" -

(a) "Badarpur Thermal Power Station" -

(i) "General" - saving of Rs.972.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1169.00 lakhs);

(ii) "Operation and maintenance" - saving of Rs.44759.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140109.65 lakhs); and

(b) "Transfer to Reserve Fund- Depreciation - Badarpur Thermal Power Station" - saving of Rs.528.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.634.00 lakhs).

Savings under above three heads were due to closure of Badarpur Cell owing to sale of Badarpur plant to National Thermal Power Corporation.

(B) "General" -

(a) "Training - National Power Training Institute" - saving of Rs.145.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1309.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2007) was due to non-approval of the scheme by competent authority.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Central Electricity Authority" - saving of Rs.557.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4542.71 lakhs) was due to non-approval of the revised cost estimates.

(ii) ''विद्युत वित्त निगम लिमिटेड'' -10000.87 लाख रु. की बचत (59800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीयसमिति द्वारा अनुमोदितकिए गए अनुसार कार्यक्रम कीलागत तक सीमित किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''विद्युत के लिए अपीलीय अधिकरण'' -168.91 लाख रु. की बचत (642.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, पुनर्गठन और सूचना प्रौद्योगिकी के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रत्याशा से कम दावे किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 56.94 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1604.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि ''सामान्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''भारतीय पावर ग्रिड निगम'' -1305.00 लाख रु.।

(खा) ''ऊर्जा संरक्षण'' - 299.00 लाख रु.।

(II) बचतें ''सामान्य - अन्य व्यय- मूल्यांकन अध्ययन और परामर्शदात्री सेवा संबंधी निधियां'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 406.53 लाख रु. का अधिक व्यय (531.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अध्ययनों के लिए प्रतिबद्ध देयताओं के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(ii) "Power Finance Corporation Limited" - saving of Rs.10000.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.59800.00 lakhs) was due to restriction of expenditure to the cost of programme as approved by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(iii) "Appellate Tribunal for Electricity" - saving of Rs.168.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.642.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claims by National Thermal Power Corporation on account of restructuring and information technology and economy measures.

(III) Under one head saving of Rs.56.94 lakhs occurred constituting 21 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1604.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh each in December, 2006 and March, 2007 under "General - Other Expenditure" - under the following heads:-

(A) "Power Grid Corporation Of India" - Rs.1305.00 lakhs.

(B) "Energy Conservation" - Rs.299.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under - "General - Other Expenditure - Funds for Evaluation Studies and Consultancy" - excess of Rs.406.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 531.00 lakhs) was due to committed liabilities for various studies.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	68148.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–68148.00			
मुख्य शीर्ष ''4801'' बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	111626.00	106059.90	106004.04	–55.86
पु.	R.	–5566.10			

(I) 68148.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''पन बिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम लि.'' - 30000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' - 38148.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और गैस सम्पर्क न होने के परिणामस्वरूप त्रिपुरा गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को रद्द कर दिए जाने की वजह से शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने और ताइपेईमुख पन बिजली परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति उपलब्ध न होने के कारण थे।

(I) Provision of 68148.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "4552" under the following heads:-

(A) "Hydel Generation-Investment in Public Sector and Other Undertakingsv - National Hydro Electric Power Corporation Ltd." - Rs.30000.00 lakhs due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim.

(B) "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" - Rs.38148.00 lakhs due to re-appropritation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States and Sikkim and surrender of the balance amount owing to dropping of Tripura Gas based power projects in the absence of gas linkage and non-availability of environmental clearance for Tipaimukh Hydro Electric Project.

(II) मुख्य शीर्ष ''4801'' के अंतर्गत बचत निम्नलिखित बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) ''पन बिजली उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम'' - 25907.84 लाख रु. की बचत (90496.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किशनगंगा परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त न होने, निम्बू बजगों और चुतक परियोजना के निवेश संबंधी अनुमोदन में विलब होने और उड़ीII, चमेरा-II, पार्वती-III और टीएलडी-IV परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य - अन्य व्यय - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 122.12 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु.के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश- पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं -20408.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा में कामेंग पन बिजली परियोजना के निष्पादन और ताईपेईमुख पन बिजली परियोजनाओं का क्षेत्रीय अध्ययन किए जाने/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आंकड़ों का उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "4801" - saving occurred under the following heads:-

(A) "Hydel Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Hydro Electric Power Corporation"- saving of Rs.25907.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 90496.00 lakhs) was due to non-receipt of investment approval for Kishanganga Project, delay in investment approval of Nimboo Bazgo and Chutak project and slow progress of Uri-II, Chamera -II, Parvati-III and TLD-IV projects.

(B) "General - Other Expenditure - Central Electricity Authority" - saving of Rs.122.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs) was due to slow progress of the scheme.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4801" - "Diesel/Gas Power Generation-Investment in Public Sector and Other Undertakings-North Eastern Electric Power Corporation" - excess of Rs.20408.00 lakhs (against nil provision) was due to execution of Kameng Hydro Electric Project and field studies/ upgradation of Detailed Project Report data of Tipaimukh Hydro Electric Projects in North Eastern Region.